-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना नरैनी पुलिस द्वारा रंजिश में व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एवं मृतक की मोटरसाइकिल बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री प्रवीण कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना नरैनी पुलिस द्वारा रंजिश के चलते एक व्यक्ति की धारदार हथियार से वारकर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 05.09.2026 को थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नहरी लक्ष्मी बाजार निवासी जिलेदार द्वारा थाना नरैनी पर सूचना दी गई कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके पुत्र की हत्या कर शव को बागे नदी में फेंक दिया गया है । सूचना पर थाना नरैनी में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था । इसी क्रम में दिनांक 07.09.2026 को थाना नरैनी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया । पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि लगभग 02 दिवस पूर्व मृतक के उनके परिवार की एक महिला से बातचीत करने को लेकर रंजिश उत्पन्न हो गई थी, जिसके चलते अभियुक्तों द्वारा धारदार हथियार से वारकर उसकी हत्या कर दी गई तथा घटना के पश्चात अभियुक्तों द्वारा मृतक के शव को मोटरसाइकिल सहित बागे नदी पुल से नदी में फेंक दिया गया था । गठित पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास करते हुए घटना का 02 दिवस के अंदर सफल अनावरण किया गया तथा घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्तों की निशानदेही एवं पूछताछ के आधार पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एवं मृतक की मोटरसाइकिल को भी नदी से बरामद किया गया है ।

बरामदगी-

- 01 बांका (हत्या की घटना में प्रयुक्त)
- 01 मोटरसाइकिल (मृतक की)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चुनवदा उर्फ रमेश पुत्र पुन्ना निवासी शंकर बाजार अंश पुकारी थाना नरैनी जनपद बांदा ।
2. रामबाबू पुत्र पुन्ना निवासी शंकर बाजार अंश पुकारी थाना नरैनी जनपद बांदा ।
3. अरुण पुत्र किशोरी लाल निवासी ग्राम पुकारी थाना नरैनी जनपद बांदा ।

पजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 240/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री भास्कर मिश्रा प्र0नि0 थाना नरैनी
2. नि0अ0 श्री अर्जुन सिंह
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू
4. कां0 आशू सिंह
5. कां0 अंकित सिंह
6. कां0 शुभम सिंह
7. कां0 सुनील कुमार
8. कां0 अखिलेश
9. कां0 आशुतोष
10. कां0 राघवेन्द्र
11. कां0 सुशील कुमार
12. कां0 अजय यादव
13. म0कां0 पूजा साहू